5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(186)

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रं.– /2016–2017 पुनःरीक्षण

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/4404

श्री आर. सी. भूरात अभि. द्वारा जोड उज्जैन से प्रस्तुत 3-10-17

संजय कुमार पिता कैलाशचन्द्रजी जाति जैन
निवासी संत तुकाराम पथ, बड़नगर जिला उज्जैन,
कृषक ग्राम अमला तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
.......आवेदक

विरूद्ध

ललित कुमार पिता कैलाशचन्द्रजी जाति जैन,
निवासी संत तुकाराम पथ, बड़नगर जिला उज्जैन,
कृषक ग्राम अमला तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
......अनावेदक

पुनःरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बड़नगर के द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रं. 24–अ–12/2016–17 मे पारित आदेश के तहत् अवैध रूप से की गई सीमांकन की कार्यवाही तथा उसमे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तिम रिपोर्ट दिनांकित 28–07–2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर पुनःरीक्षण आवेदन पत्र

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से पुनःरीक्षण आवेदन पत्र सादर निम्नलिखित प्रस्तुत हैः–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि, आवेदक के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं.1674/2 रकबा 3.24 हैक्टर ग्राम अमला तहसील बड़नगर मे स्थित होकर, आवेदक के नाम पर राजस्व कागजात मे अंकित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि पर आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर एक कुँआ पक्का निजी बना हुआ है, जिसमे पर्याप्त पानी है, जिससे आवेदक उसकी कृषि भूमि पर सिंचाई करता है, तथा इसी भूमि पर आवेदक के स्वामित्व का एक पक्का मकान पतरा पौश छत का एक मंजिला बना हुआ है जो लगभग 25 बाय 25 फीट लम्बाई–चौड़ाई का होकर इस मकान मे आवेदक के मजदूर मय परिवार के निवास करते है, तथा मकान के कुछ भाग मे आवेदक के मवेशी बांधे जाते है तथा कुछ भाग को आवेदक उसके कृषि उपकरण तथा कृषि उपज रखने के उपयोग मे लेता है।

यह कि, आवेदक के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं.1674/2 रकबा 3.24 हैक्टर से लगी हुई, अनावेदक की भूमि सर्वे नं.1674/1 रकबा 0.35 हैक्टर, 1678 रकबा 0.33 हैक्टर स्थित है। अनावेदक वर्षो से आवेदक के निजी स्वामित्व के कुएं व मकान को लेकर विवाद करता चला आ रहता है।

(1)

यह कि, दिनांक 02–10–2017 को आवेदक उसकी कृषि भूमि पर था, तब

XXIX(a)-BR(H)-11

(186)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4404

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. मूढत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	